पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने उमा शंकर सिंह की विधान सभा सदस्यता समाप्ति का आदेश दिया
भारत निर्वाचन आयोग के अभिमत पर सदस्यता समाप्ति का निर्णय लिया

लखनऊः 14 जनवरी, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक श्री उमा शंकर सिंह की सदस्यता समाप्ति का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग से श्री उमा शंकर सिंह की राज्य विधान सभा की सदस्यता के संबंध में 10 जनवरी, 2017 को प्राप्त अभिमत के आधार पर राज्यपाल ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 192(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री उमा शंकर सिंह का विधायक निर्वाचित होने की तिथि 6 मार्च, 2012 से विधान सभा की सदस्यता समाप्ति का निर्णय पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा का सामान्य निर्वाचन मार्च, 2012 में सम्पन्न हुआ था और निर्वाचन आयोग द्वारा चुने गए विधायकों को 6 मार्च, 2012 को निर्वाचित घोषित किया गया था। श्री सुभाष चन्द्र सिंह, एडवोकेट ने 18 दिसम्बर, 2013 को शपथ पत्र देकर श्री उमा शंकर सिंह के विरूद्ध उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के अंतर्गत शिकायत करते हुये आरोप लगाया था कि विधायक निर्वाचित होने के बाद भी वे सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का कार्य करते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने प्राप्त शिकायत की जांच में सरकारी कन्टैक्ट लेने के आरोप में विधायक श्री उमा शंकर सिंह को दोषी पाते हुये 18 फरवरी, 2014 को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित की थी। मुख्यमंत्री द्वारा 19 मार्च, 2014 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 191(1)डी सपठित धारा 9ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श हेतु राज्यपाल को संदर्भित किया गया। तत्कालीन राज्यपाल ने प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अभिमत के लिये 3 अप्रैल, 2014 को संदर्भित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग से 03 जनवरी, 2015 को अभिमत प्राप्त होने पर श्री उमा शंकर सिंह ने राज्यपाल श्री राम नाईक के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समय दिये जाने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार करते हुये राज्यपाल ने 16 जनवरी, 2015 को भेंट कर उनका पक्ष सुना। तत्पश्चात् राज्यपाल ने आरोपों को सही पाते हुये 29 जनवरी, 2015 को श्री उमा शंकर सिंह को विधायक निर्वाचित होने की तिथि 6 मार्च, 2012 से विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। राज्यपाल के निर्णय के विरूद्ध अयोग्य घोषित विधायक श्री उमा शंकर सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद दायर किया था, जिस पर 28 मई, 2015 को निर्णय देते हुये न्यायालय ने कहा था कि चुनाव आयोग प्रकरण में स्वयं शीघ्रता से जांच कर निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराये और उसके पश्चात् राज्यपाल प्रकरण में संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत अपना निर्णय लें।

उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने विधायक श्री उमा शंकर की प्रकरण में जांच की एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया। भारत निर्वाचन आयोग में निर्णय में देरी होने के कारण राज्यपाल ने 9 अगस्त, 2016 को विधायक के सदस्यता के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र प्रेषित किया था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने 1 सितम्बर, 2016 को पत्र द्वारा अवगत कराया था कि प्रकरण की जांच पूर्ण होने पर आयोग द्वारा शीघ्र उन्हें अभिमत से अवगत कराया जायेगा। राज्यपाल ने 16 सितम्बर, 2016 को इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता भी की थी जिस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेने की बात कही थी। तत्पश्चात् राज्यपाल ने 7 जनवरी 2016, 23 मई 2016, 5 नवम्बर 2016 एवं 14 दिसम्बर 2016 को स्मरण पत्र भी भेजे थे।

राज्यपाल ने अपने आदेश की प्रति भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधान सभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव तथा श्री उमा शंकर सिंह को भी प्रेषित की है। उन्होंने मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर को आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की है कि उक्त आदेश को राजकीय गजट में अविलम्ब प्रकाशित कराया जाये तथा प्रकाशित गजट अधिसूचना की 7 प्रतियाँ राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित की जायें।

अंजुम/ललित/राजभवन (17/17)